v/;k; 3

foŸkh; izfrosnu

v/;k; 3

foŸkh; ifrosnu

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक स्वस्थ आन्तरिक वित्तीय सूचनातंत्र, राज्य सरकार द्वारा दक्ष एवं प्रभावी सुशासन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों के अनुपालन के साथ इन अनुपालनों की समयबद्धता और सूचना की गुणवत्ता की स्थिति अच्छे सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावशाली एवं प्रक्रियात्मक है तो यह राज्य सरकार की मूलभूत प्रबंधन उत्तरदायित्व निभाने के साथ सामरिक महत्व की योजना व निर्णय लेने में भी सहायता करता है। इस अध्याय में वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निदेशों के अनुपालन की स्थिति एवं एक विहंगावलोकन दिया गया है।

3-1 mi;kfxrk iek.k i= iLrqr djus esa foyac

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड–1 के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक या अनावर्ती सशर्त अनुदानों के मामले में, जिस विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर से सहायता अनुदान देयक आहरित किया जाता है, वह अधिकारी जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके आगामी वर्ष के 30 सितम्बर को या उसके पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे।

2014–15 तक विभिन्न विभागों में सहायता–अनुदान स्वीकृति के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र की स्थिति rkfydk 3-1 में दी गई है।

rkfydk 3-1: cdk;k mi;kfxrk iek.ki=ksa dh o"kZokj fLFkfr

¼₹ djksM+ esa½

o"kZ	ikjfEHkd 'ks"k		pkyw o"kZ ds nkSjku ns; mi;kfxrk iek.k&i=		;ksx		o"kZ ds nkSjku izkIr mi;kfxrk iek.k&i=		o"kZ ds vUr esa cdk;k mi;kfxrk iek.k&i=	
	la[;k	jkf'k	la[;k	jkf'k	la[;k	jkf'k	la[;k	jkf'k	la[;k	jkf'k
2012–13 तक	40405	31,417.72	687	3,708.83	41092	35,126.55	2469	6,885.64	38623	28,240.91
2013–14	38623	28,240.91	428	926.94	39051	29,167.85	2637	1,795.12	36414	27,372.73
2014–15	36414	27,372.73	132	1,346.22	36546	28,718.95	1596	1,713.22	34950	27,005.73*

¼L=ksr½ foŸk ys[kk 2014&15½

** 2014&15 ds nkSjku fn, x, vuqnkuksa ds fy, mi;ksfxrk iek.k&i= fnukad 30 flrEcj 2015 dks ;k blls iwoZ ns; gksxs flok; blds tgka Loh—fr vkns'k esa vU;Fkk funsZ'k ugha fn, x, gksA*

जैसा कि उपर्युक्त में देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2015 को 35 विभागों के कुल राशि ₹ 27,005.73 करोड़ के 34950 उपयोगिता प्रमाण–पत्र बकाया थे। विवरण ifjf'k"V 3-1 में दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्रों का वृहद् रूप से लंबित रहना मुख्य रूप से नगरीय प्रशासन (₹ 8,711 करोड़), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (₹ 5,210 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 5,102 करोड़), शिक्षा (₹ 2,784 करोड़) तथा ऊर्जा (₹ 998 करोड़) विभागों से संबंधित था।

3-2 jkT; fo/kkueMy esa Lok;Ùk fudk;ksa ds iFkd ys[kkijh{kk ifronuksa dks j[kus dh fLFkfr

राज्य सरकार ने कृषि, गृह निर्माण, श्रम कल्याण, नगरीय विकास इत्यादि क्षेत्रों में अनेक स्वायत्त निकायों की स्थापना की है। राज्य में छह स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। 30 सितम्बर 2015 को लेखापरीक्षा सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखे भेजना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना तथा विधानमंडल में उनकी प्रस्तुति rkfydk 3-2 में दी गई है।

rkfydk 3-2: Lok;Ùk fudk;ksa ds ys[kk iLrqr djus dh fLFkfr

l- Ø-	fudk; dk uke	lkSaiu dh vof/k	o"kZ tc rd ys[kk iLrqr fd, x, Fks	vof/k tc rd iFkd ys[kkijh{kk ifronu tkjh fd, x, Fks	fo/kku lHkk esa iFkd ys[kkijh{kk ifronu dh iLrfr	ys[kksa dh iLrfr@ viLrfr esa foyac[1] ¼ekgksa esa½
1	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, भोपाल	नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3) के तहत 1998–99 एवं उसके बाद सौंपा	2012–13	2012–13	2008–09 वर्ष 2009–10 से 2012–13 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए। राज्य विधानमंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को रखने की स्थिति के बारे में अनुस्मरण (अगस्त 2015 एवं नवम्बर 2015) के बावजूद जानकारी प्रतीक्षित थी।	2012–13 (24) 2013–14 (15) 2014–15 (03)
2	मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, भोपाल	2014–15 तक	2013–14	2013–14	2012–13 वर्ष 2013–14 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया। राज्य विधानमंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को रखने की स्थिति के बारे में जानकारी प्रतीक्षित थी।	2013–14 (03) 2014–15 (03)
3	मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	2011–12	2011–12	वर्ष 2011–12 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया। राज्य विधानमंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को रखने की स्थिति के बारे में जानकारी प्रतीक्षित थी।	2011–12 (23) 2012–13 (27) 2013–14 (15) 2014–15 (03)
4	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	1997–98 से 2012–13	वर्ष 1997–98 से 2012–13 के लिए लेखे, संस्था से अगस्त 2015 में प्राप्त हुए थे। इन लेखों की लेखापरीक्षा की जाएगी और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया जाएगा।	–	1997–98 (205) से 2012–13 (25) 2013–14 (15) 2014–15 (03)

---

1 *विलम्ब की अवधि, लेखा प्राप्ति की नियत दिनांक अर्थात आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 सितम्बर 2015 तक ली गई है।*

5	मध्य प्रदेश आवास एवं अधोसंरचना विकास मंडल, भोपाल	2016–17 तक	2013–14	2013–14	वर्ष 2013–14 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया। राज्य विधानमंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को रखने की स्थिति के बारे में अनुस्मरण (मई 2015) के बावजूद जानकारी प्रतीक्षित थी।	2013–14 (09) 2014–15 (03)
6	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत शक्ति नियामक आयोग, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा गया	2014–15	2014–15	वर्ष 2014–15 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सितम्बर 2015 में जारी किया गया। राज्य विधानमंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को रखने की स्थिति के बारे में जानकारी प्रतीक्षित थी।	–

जैसा कि rkfydk 3-2 में देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में 205 महीनों तक का अत्यधिक विलंब किया गया था और वर्ष 1997–98 से 2012–13 के लेखे संस्था से अगस्त 2015 में प्राप्त हुए थे। राज्य विधानसभा में पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं लेखों के प्रस्तुतीकरण में अस्वाभाविक विलंब के परिणामस्वरूप इन निकायों जिनमें सरकारी निवेश किया गया है, की कार्यप्रणाली की जाँच में देरी हुई, इसके साथ ही स्वायत्त निकायों में वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलंब हुआ।

3-3 nqfofu;kx] gkfu;k] xcu bR;kfn dh lipuk

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड–1 के नियम 22(1) में कहा गया है कि कोई भी लोक धन की हानि, गबन से हो या अन्य किसी कारण से, तत्काल महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिये, चाहे इस हानि को जिम्मेदार पक्षकार द्वारा पूरा कर दिया गया हो।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2015 तक दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि के 3134 प्रकरण सूचित किए थे जिनमें ₹ 34.37 करोड़ समाविष्ट था, जिन पर जून 2015 तक अंतिम कार्यवाही लंबित थी। इस राशि में वर्ष 2014–15 के लिए ₹ 1.15 करोड़ (95 प्रकरण) सम्मिलित थे। ₹ 15.75 करोड़ (2515 प्रकरण) एवं ₹ 8.30 करोड (11 प्रकरण) के अनेक प्रकरण क्रमशः वानिकी एवं वन्य प्राणी विभाग तथा कोषालय एवं लेखा प्रशासन के वसूली/नियमितीकरण हेतु लंबित थे। 2014–15 के अंत में दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि के लंबित प्रकरणों का विभागवार विवरण तथा उनका समयवार विश्लेषण ifjf'k"V 3-2 में दिया गया है। विभागवार और अनियमितता की प्रकृति अनुसार इन प्रकरणों का विवरण ifjf'k"V 3-3 में दिया गया है। इन परिशिष्टों से उद्भूत लंबित प्रकरणों की समयानुसार रूपरेखा के साथ अनियमितताओं की प्रकृति को rkfydk 3-3 में सारांशीकृत किया गया है।

rkfydk 3-3: n[kofu;kx] gkfu;k] xcu bR;kfn dh :ij[kk

yafcr izdj.kksa dh le;kuqlkj :ij[kk			yafcr izdj.kksa dk fooj.k		
foLrkj ¼o"kksZ esa½	izdj.kksa dh la[;k	lekfo"V jkf'k ¼₹ djksM+ esa½	izdj.k dh izd`fr	izdj.kksa dh la[;k	lekfo"V jkf'k ¼₹ djksM+ esa½
0 – 5	715	16.89	चोरी	182	6.41
5 – 10	398	7.57			
10 – 15	446	4.59	दुर्विनियोग/सामग्री की हानि	2952	27.96
15 – 20	376	2.24			
20 – 25	649	1.53			
25 और उससे अधिक	550	1.55			
;ksx	3134	34-37	;ksx	3134	34-37

आगे विश्लेषण से प्रकट हुआ कि जिन कारणों से प्रकरण बकाया थे उनको rkfydk 3-4 में दर्शाया गया है।

rkfydk 3-4: n[kofu;kx] gkfu] xcu bR;kfn ds cdk;k izdj.kksa ds dkj.k

cdk;k@foyafcr izdj.kksa ds fy;s dkj.k		izdj.kksa dh la[;k	jkf'k ¼₹ djksM+ esa½
(i)	विभागीय एवं आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित	16	0.25
(ii)	विभागीय कार्यवाही प्रारंभ परंतु अंतिम रूप नहीं दिया	14	0.73
(iii)	आपराधिक कार्यवाही जिसे अंतिम रूप दिया गया लेकिन राशि की वसूली के लिए प्रमाण पत्र प्रकरणों का निष्पादन लंबित था	05	0.18
(iv)	वसूली अथवा अपलेखन हेतु आदेश प्रतीक्षित	3083	24.83
(v)	न्यायालयों में लंबित	16	8.38
	;ksx	3134	34-37

इस प्रकार ₹ 34.37 करोड़ के 3134 प्रकरणों में से, ₹ 9.91 करोड़ के 2021 प्रकरण (64 प्रतिशत) 10 वर्ष से अधिक लंबित थे। 3083 प्रकरणों (98 प्रतिशत) में वसूली अथवा अपलेखन के आदेश प्रतिक्षित थे।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 23.54 लाख के 98 प्रकरणों की हानि का अपलेखन किया गया था, जैसा कि ifjf'k"V 3-4 में विस्तृत दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि, विभाग आवश्यक कार्यवाही कर रहे थे।

3-4 foLr`r izfrgLrk{kfjr vkdfLed ns;dksa dh izLrqfr esa foyac

3-4-1 laf{kIr vkdfLed ns;dksa ds fo:) foLr`r izfrgLrk{kfjr vkdfLed ns;dksa dh izLrqfr esa foyac

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग–1 के नियम 313 के अनुसार, प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक संक्षिप्त आकस्मिक देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि वर्तमान माह के प्रथम दिवस से पूर्व उनके द्वारा आहरित समस्त आकस्मिक प्रभारों

के लिए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों को प्रतिहस्ताक्षर के लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषण हेतु अग्रेषित कर दिए गए है। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 327 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को मासिक विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नियंत्रण अधिकारी को आगामी महीने की पांच तारीख तक प्रस्तुत कर देने चाहिए। नियंत्रण अधिकारी को पारित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक महालेखाकार को प्रस्तुत करना होता है, ताकि ये देयक महालेखाकार कार्यालय में उसी महीने की 25 तारीख तक प्राप्त हो जाए। जबकि, वित्त विभाग के अनुदेश (सितम्बर 1999) द्वारा सभी विभागों के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग (केवल नेशनल केडेट कॉर्प्स पर व्यय के लिए) को छोड़कर संक्षिप्त आकस्मिक देयकों से आहरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हमने देखा कि मार्च 2015 के अन्त तक, ₹ 7.59 करोड़ के 19 विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक लंबित थे, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत राज्य शिष्टाचार अधिकारी, भोपाल द्वारा आहरित किए गए थे। इन आहरणों का प्रकरण न्यायालय में निर्णय के लिए लंबित था। प्रकरण विशेष न्यायाधीश के माननीय न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 13.03.2012 को बंद कर दिया गया था, हालांकि, ये संक्षिप्त आकस्मिक देयक समायोजन हेतु प्रतिक्षित थे। विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों को प्रस्तुत करने में हुआ वर्षवार विलंब rkfydk 3-5 में दिया गया है।

rkfydk 3-5: cdk;k foLr`r ifrgLrk{kfjr vkdfLed n:;d dh o"kokj fLFkfr

(₹ djkM e)

o"k	cdk;k foLr`r ifrgLrk{kfjr vkdfLed n:;dk dh l[;k	jkf'k
2004–05	11	4.60
2005–06	05	2.74
2006–07	03	0.25
;kx	19	7-59

¼L=kr% foYk y[k 2014&15½

3-5 foHkkxh; iikfIr;k ,o 0;; dk feyku

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 24.9.3 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी उनके द्वारा संधारित किये गये लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों से मिलान और गलत वर्गीकरण को पहचान कर एवं ठीक करवाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

हमने देखा कि 2014–15 के दौरान कुल व्यय ₹ 1,06,787 करोड़ (लोक ऋण की अदायगियों और आकस्मिकता निधि के अंतरण को छोड़कर) के विरूद्ध दिनांक 31 मार्च 2015 तक सभी 117 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 41,850.93 करोड़ (39.19 प्रतिशत) का आंशिक मिलान किया गया था।

इसके अतिरिक्त, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखांकित आंकड़ों से सरकार की प्राप्तियों का मिलान करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, 117 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से केवल 08 द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्तियों ₹ 95,434.47 करोड़ लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों को छोड़कर, के विरूद्ध ₹ 998.84 करोड़ (1.05 प्रतिशत) का मिलान किया गया।

नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय और प्राप्तियों का मिलान न किये जाने से वित्तीय प्रबंधन में कमी दर्शित हुई। यद्यपि विभागीय आंकड़ों के मिलान न किए जाने के बारे में हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से उल्लेख किया गया है तथापि 2014–15 के दौरान इस विषय में नियंत्रण अधिकारियों की ओर से चूक करना निरन्तर रूप से जारी रहा।

3-6 vLFkk;h vfxzeksa dk lek;kstu u gksuk

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 53 (4) के अनुसार, अस्थायी अग्रिमों का समायोजन यथा शीघ्र किया जाना चाहिए एवं समायोजन में किसी भी स्थिति में तीन माह से अधिक विलंब नहीं किया जाना चाहिए। वित्त विभाग के निर्देशानुसार (अक्टूबर 2001), शासकीय कर्मचारियों द्वारा यात्रा या आकस्मिक व्यय हेतु लिए गए अस्थायी अग्रिमों का समायोजन अग्रिम लेने की दिनांक से तीन माह के अन्दर या वित्त वर्ष के अंत तक, जो भी पहले हो, तक कर लिया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर गलती करने वाले कर्मचारी/अधिकारी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सावधि जमा पर ब्याज की दर के अनुसार ब्याज अधिरोपित किया जाना चाहिए।

विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी (उपलब्ध सीमा तक) से प्रकट हुआ कि दिनांक 31 मार्च 2015 को 15 विभागों[2] के कुल ₹ 15.09 करोड़ के 3144 प्रकरण, अभिलेखों में समायोजन हेतु लंबित थे। हमने देखा कि, अस्थाई अग्रिमों (एक करोड़ से अधिक) की वृहद राशि कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग (₹ 7.75 करोड़), जल संसाधन विभाग (₹ 4.10 करोड़), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (₹ 1.09 करोड़) तथा पशुपालन (₹ 1.05 करोड़) के संबंध में समायोजन के लिए लंबित थी।

अधिकतर विभागों द्वारा अस्थायी अग्रिमों का समायोजन नहीं किए जाने के कारण सूचित नहीं किए थे। लंबित अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण rkfydk 3-6 में दिया गया है।

rkfydk 3-6: ekpZ 2015 rd yafcr vfxze izdj.kksa dk vof/kokj fo'ys"k.k

l- Ø-	yafcr	izdj.kksa dh la[;k	jkf'k ¼₹ djksM+ esa½
1	10 वर्ष से अधिक	793	1.03
2	5 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक	560	3.74
3	एक वर्ष से अधिक किन्तु पाँच वर्ष से कम	640	2.14
4	एक वर्ष से कम	1151	8.18
dqy		3144	15-09

¼L=ksr% foHkkxksa }kjk iznÙk vkdM+s½

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि 25 प्रतिशत प्रकरण (793) दस वर्ष से अधिक पुराने हैं एवं इस तरह, उनकी वसूली की संभावना बहुत कम है।

अग्रिमों की वसूली न होने से संबंधित विभागों में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण की कमी दर्शित हुई।

[2] *(1) पशुपालनः ₹ 104.50 लाख, (2) पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालयः ₹ 15.91 लाख, (3) विमाननः ₹ 1.88 लाख, (4) संस्कृतिः ₹ 2.08 लाख, (5) कृषक कल्याण एवं कृषि विकासः ₹ 775.41 लाख, (6) मछलीपालनः ₹ 0.28 लाख, (7) उद्यानिकीः ₹ 76.36 लाख, (8) जेलः ₹ 5.23 लाख, (9) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीः ₹ 109.10 लाख, (10) सामाजिक न्याय एवं निःशक्तता कल्याणः ₹ 0.14 लाख, (11) तकनीकी शिक्षाः ₹ 5.46 लाख, (12) नगर तथा ग्राम निवेशः ₹ 0.04 लाख, (13) अनुसूचित जनजाति कल्याणः ₹ 0.04 लाख, (14) जल संसाधन विभागः ₹ 410.32 लाख, (15) नर्मदा घाटी विकासः ₹ 1.91 लाख*

3-7 y?k 'kh"k ‘800&vU; ikfIr;k’ ,o ‘800&vU; 0;;’ d vrxr nt fd;k tkuk

चूंकि अधिकतर शासकीय गतिविधियां महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी केंद्र व राज्य के मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची में स्पष्ट वर्णित है एवं मध्य प्रदेश बजट नियमावली के पैरा 8.3.5(VI) के अनुसार भी बजट नियंत्रण अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि लघुशीर्ष ‘800–अन्य प्राप्तियां/व्यय’ का संचालन कम से कम हो।

वित्त लेखे 2014–15 की जांच में पाया गया कि ₹ 10,215.68 करोड़ का व्यय, कुल व्यय ₹ 94,250.50 करोड़ (राजस्व एवं पूंजीगत) का 10.84 प्रतिशत संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया गया, जो कि लघुशीर्ष ‘800–अन्य व्यय’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

हमने यह भी देखा कि लेखों के 16 मुख्य शीर्षों (राजस्व एवं पूंजीगत) के अंतर्गत राशि ₹ 7,526.83 करोड़ के अधिकतर भाग (50 प्रतिशत या अधिक) को कुल व्यय ₹ 9,798.29 करोड़ का 76.82 प्रतिशत लेखों के लघु शीर्ष ‘800–अन्य व्यय’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। यह व्यय संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय के 55 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य था, जैसा कि ifjf'k"V 3-5 में दिखाया गया है।

इसी तरह ₹ 22,543.10 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 88,640.78 करोड़) का 25.43 प्रतिशत संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया जो कि लघुशीर्ष ‘800–अन्य प्राप्तयों’ के अंतर्गत वर्गीकृत की गईं थी। लेखों के 17 मुख्य शीर्षों (राजस्व प्राप्तियां) के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियों ₹ 28,718.90 करोड़ में से ₹ 21,620.75 करोड़ (75.28 प्रतिशत) के अधिकतर भाग (50 प्रतिशत या अधिक) को ‘800–अन्य प्राप्तियों’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जो संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियों का 58 से 100 प्रतिशत के मध्य था। विवरण ifjf'k"V 3-6 में दिया गया है।

लघु शीर्ष ‘800–अन्य प्राप्तियां’ एवं ‘800–अन्य व्यय’ के अंतर्गत दर्ज की गई वृहद राशियां वित्तीय सूचना की पारदर्शिता को प्रभावित करती हैं क्योंकि इससे लेखों में सरकार की विभिन्न गतिविधियों पर विखण्डित जानकारी पृथक से प्राप्त नहीं हो पाती है।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि, निर्देश पहले ही जारी किए गए थे, इन्हें पुनः दोहराया जाएगा।

3-8 i o o"kk d nkf;Rok dk Hkxrku vkxkeh o"kk d ctV l fd;k tkuk

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 283 के अनुसार वास्तविक रुप से किए गए समस्त भारों का अविलंब आहरण तथा भुगतान किया जाना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में अगले वर्ष के अनुदान से भुगतान के लिए अनुमति नहीं होनी चाहिए। जहां तक संभव हो, व्यय को नए बजट की स्वीकृति प्राप्त होने तक के लिए स्थगित किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह एक वर्ष के भार को दूसरे वर्ष के अनुदान के लिए छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

वर्ष 2014–15 के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक के 11 कार्यालयों के भुगतान देयकों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि, वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के 178 लंबित देयकों की राशि ₹ 60.42 लाख का भुगतान वर्ष 2013–14 में किया गया था, जैसा कि, ifjf'k"V 3-7&^v^ में विस्तृत दिया गया है। आगे, वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के 200 लंबित देयकों की राशि ₹ 143.41 लाख का भुगतान वर्ष 2014–15 में किया गया था, जैसा कि, ifjf'k"V 3-7&^c^ में विस्तृत दिया गया है। इस प्रकार, एक वर्ष के भार को दूसरे वर्ष के अनुदान के लिए छोड़ा जा रहा था। जो, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 283 के प्रावधानों के प्रतिकूल था।

इस ओर इंगित करने पर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों/सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षकों ने बताया कि, पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध न होने के कारण, बजट का पुनरीक्षित न होना, वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व कोषालय द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका, मरीजों के उपचार को दृष्टिगत रखते हुए दवाओं/सामग्री की तात्कालिक आवश्यकता इत्यादि हेतु खरीद आदेश जारी किए गए थे।

उत्तर, लेखापरीक्षा के कथन की पुष्टि करता है कि, प्रयोजनों हेतु भार बिना पर्याप्त प्रावधान के किए गए थे। कोषालय द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका, उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि, प्रतिबंध लगाए जाने के लिए पूर्व की अवधि से देयक लंबित थे। आगे, विगत वर्ष के दायित्वों का भुगतान अगले वर्ष के बजट से करना मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों के प्रतिकूल था।

प्रकरण सरकार को संदर्भित किया गया (अगस्त 2015); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2015)।

3-9 cSd [kkrk dk vfu;fer l/kkj.k

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 6 एवं मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 284 के अनुसार तत्काल आवश्यकता न होने पर राज्य की समेकित निधि से निधियों का आहरण पूर्णतः प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 9 के अनुसार सरकार की विशेष अनुमति को छोड़कर शासकीय सेवक राज्य की संचित निधि और लोक खाते से आहरित धनराशि बैंक में जमा नहीं कर सकता है। वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश (फरवरी 2009) के अनुसार शासकीय कार्यालय, जिनमें विभिन्न योजनाओं के लिए कोषालय से निधियों का आहरण किया गया एवं बैंक खाते, जो कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गए थे, में जमा कर दिया गया था, इन बैंक खातों से धन को तत्काल निकाला जाए एवं शासकीय खातों में जमा किया जाए।

- दस विभागों[3] के अंतर्गत 25 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के कार्यालयीन अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि इन विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 35 बैंक खातों का संचालन किया जा रहा था जिसमें जमा राशि ₹ 30.61 करोड़ थी। इन बैंक खातों से लेनदेन भी किया जा रहा था। इस प्रकार, बैंक खातों को बंद करने के लिए वित्त विभाग के निर्देशों

[3] *(1) गृह विभाग, (2) योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, (3) सामान्य प्रशासन, (4) स्कूल शिक्षा, (5) उच्च शिक्षा, (6) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, (7) अनुसूचित जनजाति कल्याण, (8) पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, (9) सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, (10) गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास*

का पालन नहीं किया गया। बैंक खातों में शेषों का विवरण ifjf'k"V 3-8 में दर्शाया गया है।

इस ओर इंगित किए जाने पर, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने उत्तर दिया कि, वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। यदि अनुमति प्राप्त नहीं होती है, तो खाते बंद करके निधियों को शासकीय खातों में जमा कर दिया जाएगा।

तथ्य यह है कि, वित्त विभाग की अनुमति के बिना बैंक खातों का संचालन वित्त विभाग एवं मध्य प्रदेश कोषालय संहिता/मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के प्रावधानों के प्रतिकूल था।

- प्राचार्य, शासकीय विधि महाविद्यालय, मुरैना के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2014) में प्रकट हुआ कि, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन ने नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय के निर्माण हेतु राशि ₹ 153.34 लाख स्वीकृत की एवं उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति (मार्च 2011) प्रदान की गयी। प्राचार्य, शासकीय विधि महाविद्यालय द्वारा उक्त राशि कोषालय से मार्च 2011 में आहरित की गयी एवं उसी माह में लोक निर्माण विभाग को अंतरित कर दी थी। यद्यपि निर्माण स्थल अनुपयुक्त होने के कारण लोक निर्माण विभाग मुरैना ने सम्पूर्ण राशि वापस कर दी (जनवरी 2012)। प्राचार्य, शासकीय विधि महाविद्यालय ने सम्पूर्ण राशि को ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के जनभागीदारी खाते में जमा कर दी (जनवरी 2012)। बाद में, प्राचार्य, विधि महाविद्यालय, मुरैना ने भवन निर्माण हेतु राशि ₹ 153.34 लाख मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, मुरैना को अंतरित (नवम्बर 2014) कर दी।

  इस ओर इंगित किए जाने पर, कार्यालय ने उत्तर दिया कि, भवन निर्माण के लिए अन्य निर्माण संस्थाओं से पत्राचार चल रहा था इसलिए राशि सरकार को वापिस नहीं की गई थी।

  उत्तर मान्य नहीं क्योंकि, बैंक में राशि रखने के लिए अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।

  प्राचार्य, विधि महाविद्यालय, मुरैना द्वारा ₹ 153.34 लाख का दो वर्षों से अधिक शासन की अनुमति के बिना बैंक में जमा रखना शासन के नियमों एवं वित्त विभाग के निर्देशों के प्रतिकूल था।

  उक्त प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2015); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2015)। बिना पर्याप्त आयोजना के निधियों का आहरण तथा निधियों का बैंक खाते में अप्रयुक्त रखना वित्त विभाग के निर्देशों एवं मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों के प्रतिकूल था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि, विभागों को निर्देश पहले ही जारी किए गए थे तथा विशिष्ट मामलों को विभागों के समक्ष उठाया जाएगा।

3-10 fudk;ksa ,oa izkf/kdj.kksa dks fn, x, vuqnku ;k _.k ds fooj.kksa dk izLrqr u djuk

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत जिन संस्थानों/संगठनों की लेखापरीक्षा की जानी है उनको पहचानने के लिए, सरकार/विभागाध्यक्षों को विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, जिस उद्देश्य के लिए सहायता प्रदान की गई और संस्थानों के कुल व्यय की विस्तृत जानकारी प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा, विनियम 2007 उपबंधित करता है कि सरकार एवं विभागाध्यक्ष, जिन निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान एवं/या ऋण संस्वीकृत करते हैं, वे प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत में, उन निकायों एवं प्राधिकरणों जिनको पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदान एवं/या ऋण का भुगतान किया था, का विवरण पत्र, जिसमें (अ) सहायता की राशि (ब) जिस उद्देश्य के लिए सहायता संस्वीकृत की गई थी (स) निकाय या प्राधिकरण का कुल व्यय दर्शित हो, लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

मामलों को अप्रैल एवं जुलाई 2015 में वित्त विभाग के समक्ष लाया गया था। वित्त विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि, जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी (जून 2015) कर दिए गए हैं जबकि, सितम्बर 2015 तक मध्य प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग ने वर्ष 2014–15 के लिए इस तरह के विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किए।

3-11 0;fäxr tek [kkrksa dk l/kkj.k

व्यक्तिगत जमा खाते वे जमा खाते हैं जो कि, प्रशासक के नाम से कोषालय में खोले जाते हैं। राशि को 8443–सिविल जमा 106–व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत रखा जाता है। इन खातों को वित्त विभाग के अनुमोदन से खोला जा सकता है। वर्तमान नियमानुसार महालेखाकार की सहमति आवश्यक नहीं है। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 543 एवं 584 से 590 के प्रावधानों के अनुसार जो कि व्यक्तिगत जमा खाते के संधारण से संबंधित है, ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते जो राज्य की समेकित निधि से विकलन कर खोले जाते हैं, उनको वित्त वर्ष की समाप्ति पर संबंद्ध सेवा शीर्ष को ऋणात्मक नामे डालकर बंद कर देना चाहिए। वित्त विभाग के फरवरी 2010 के अनुदेशों के अनुसार, यदि अगले वर्ष व्यक्तिगत जमा खाते खोलना आवश्यक है तो सामान्य प्रक्रिया से खोले जा सकते हैं। व्यक्तिगत जमा खाते जो लगातार तीन वर्ष से अप्रचलित हैं उन्हें कोषालय अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक को सूचना देकर बंद कर देना चाहिए एवं शेष राशि को राजस्व जमा के रूप में शासकीय खाते में अंतरित करने की कार्रवाई प्रारम्भ कर देनी चाहिए।

व्यक्तिगत जमा खाते का कोषालय लेखे से आवधिक मिलान संबंधित प्रशासक का उत्तरदायित्व है। सहायक नियम 558 के अनुसार धन ऋण ज्ञापन जो कि व्यक्तिगत जमा खाते के प्रारम्भिक शेष, प्राप्तियों, संवितरण एवं अंतिम शेष को दर्शाते हैं, को प्रत्येक माह महालेखाकार को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। सहायक नियम 284 के अनुसार जब तक तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो तब तक कोषालय से राशि का आहरण नहीं किया जाना चाहिए। वित्त विभाग ने निर्देश (मार्च 2013) दिए कि, राज्य की संचित निधि से वित्त पोषित एवं विभिन्न स्त्रोतों के लिए अलग व्यक्तिगत जमा खाते खोले जाएंगे।

0;fäxr tek [kkrk dh lexz fLFkfr

31 मार्च 2015 की स्थिति में खुले रहे व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति का rkfydk 3-7 में विस्तृत विवरण है।

rkfydk 3-7% 31 ekpZ 2015 dks 0;fäxr tek [kkrksa dh fLFkfr

(₹ djksM+ esa)

1 vizSy 2014 dks 0;fäxr tek [kkrs		o"kZ ds nkSjku [kksys x, 0;fäxr tek [kkrs	o"kZ ds nkSjku 0;fäxr tek [kkrs dks varfjr jkf'k	o"kZ ds nkSjku cUn fd, x, 0;fäxr tek [kkrs	o"kZ ds nkSjku 0;fäxr tek [kkrksa ls fuLrkfjr jkf'k	31 ekpZ 2015 dh fLFkfr esa 0;fäxr tek [kkrs	
la[;k	jkf'k	la[;k	jkf'k	la[;k	jkf'k	la[;k	jkf'k
880	1,784.77	14	1,069.43	92	149.75	802*	2,704.45

¼L=ksr% foÙk ys[kk ewy ys[kk ij fVIif.k;k¡½

* *'kkldh;% 799] v)Z'kkldh;% 3] blesa ls ₹ 266-52 djksM+ ds 399 0;fäxr tek [kkrs ,d o"kZ ls vf/kd vof/k ls vupfyr jgsA*

व्यक्तिगत जमा खातों के अंतिम शेष से प्रकट हुआ कि प्रशासकों ने नियमानुसार वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खातों को सुसंगत सेवा शीर्षों को ऋण नामे में डालकर बंद नहीं किए। चूंकि राज्य की समेकित निधि से व्यक्तिगत जमा खाते में अंतरित राशि को अंतिम व्यय के रूप मे दर्शाया जाता है, वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खाते को बंद न किए जाने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान समेकित निधि के अंतर्गत व्यय बढ़ा हुआ होता है।

छह व्यक्तिगत जमा खातों के प्रशासकों से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में नमूना जांच (मई से अगस्त 2015 तक) की गई, निम्नलिखित अभ्युक्तियां पाई गई:

- संचालनालय, लोक शिक्षण, भोपाल के व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 6 (जो कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोला गया था) की नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि, 'सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी' योजना अंतर्गत भारत सरकार से मार्च 2008 में ₹ आठ करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था। समान राशि राज्य सरकार द्वारा जारी कर दी गई थी। सम्पूर्ण राशि (₹ 16 करोड़) उपर्युक्त व्यक्तिगत जमा खाते में जमा करा दी गई थी, जो दिसम्बर 2014 तक अप्रयुक्त बनी रही। हमने देखा कि, केन्द्रीय अंश भारत सरकार को वापिस नहीं किया गया और कोषालय अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत जमा खाता जनवरी 2015 में बंद कर दिया गया एवं सम्पूर्ण राशि ₹ 16 करोड़ राज्य के राजस्व जमा शीर्ष 8443–101 में जमा कर दी गयी।

  लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर संचालनालय लोक शिक्षण, भोपाल ने स्वीकार किया कि व्यक्तिगत जमा खाता जनवरी 2015 में बंद किया जा चुका है एवं सम्पूर्ण राशि राज्य के राजस्व जमा शीर्ष 8443–101 में जमा करवा दी गई थी।

  इस प्रकार, तथ्य यह है कि, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को सरकार के खातों में राजस्व के रूप में लिया गया था।

- भू–अर्जन अधिकारी, मुरैना के व्यक्तिगत जमा खाते की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि, मार्च 2012 से व्यक्तिगत जमा खाते से कोई लेन–देन नहीं किया गया था एवं कोषालय एवं रोकड़ बही के अभिलेखों के अनुसार मई

2015 को व्यक्तिगत जमा खाते में ₹ 5.47 करोड़ का शेष उपलब्ध था। वर्ष की समाप्ति पर न तो व्यक्तिगत जमा खाते को बंद किया गया और न ही व्यक्तिगत जमा खाते को निरंतर रखने की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त की गई थी। प्रशासक द्वारा महालेखाकार को धन–ऋण ज्ञापन भी भेजा नहीं गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर, भू–अर्जन अधिकारी, मुरैना ने उत्तर दिया (मई 2015) कि, व्यक्तिगत जमा खाते को जारी रखने की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त की जा रही थी।

- हमने देखा कि वित्त विभाग ने संचालक, तकनीकी शिक्षा को आवेदन पत्रों के विक्रय से प्राप्त फीस, संसाधन (प्रोसेसिंग) फीस, संस्थाओं के निरीक्षण इत्यादि के लिए–'तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं पाठ्यक्रमों के अनुमोदन संबंधी औपचारिकताओं हेतु लेखा'–के उद्देश्य से एक व्यक्तिगत जमा खाता खोलने की अनुमति प्रदान की। हमने देखा कि, राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान के भवन निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 20 करोड़ को भी इस व्यक्तिगत जमा खाते में रखा गया था जबकि, संचालक, तकनीकी शिक्षा को इस प्रयोजन हेतु एक और व्यक्तिगत जमा खाता खोलने के लिए अधिकृत किया गया था। हमने देखा कि, धन–ऋण ज्ञापन महालेखाकार को प्रत्येक माह नहीं भेजा गया और मिलान भी नहीं किया गया था, इस कारण व्यक्तिगत जमा खाते की रोकड़ बही और पासबुक में ₹ 10.22 करोड़ का अंतर था।

  इस ओर इंगित किए जाने पर संचालक, तकनीकी शिक्षा ने कहा (जुलाई 2015) कि, सुधार हेतु भविष्य में कार्यवाही की जाएगी।

  तथ्य यह है कि, संसाधन (प्रोसेसिंग) फीस, एवं राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान के लिए व्यक्तिगत जमा खाते पृथक रुप से खोले जाने चाहिए थे, जो विभाग द्वारा नहीं खोले गए।

- हमने देखा कि आयुक्त, सिल्क संचालनालय, भोपाल द्वारा संधारित व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 38 में ₹ 2.28 करोड़ (मार्च 2015) शेष था, जिसमें ईरी रेशम विकास योजना एवं ईरी परियोजना के अंतर्गत 2005–06 एवं 2006–07 में क्रमशः ₹ 1.47 करोड़ एवं ₹ 0.81 करोड़ जमा, सम्मिलित था। इन योजनाओं के अंतर्गत व्यक्तिगत जमा खाते में निधि का लगातार तीन वर्षों तक अप्रचलित रहने के कारण, राशि को मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 562 के तहत राजस्व जमा लेखे में अंतरित किया जाना चाहिए था।

- हमने देखा कि, उप संचालक, कृषक कल्याण एंव कृषि विकास उज्जैन एवं खरगौन द्वारा संधारित व्यक्तिगत जमा खाते से क्रमशः ₹ 0.91 करोड़[4] एवं ₹ 0.23 करोड़[5], संचालनालय, कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के आदेश (सितम्बर 2014) के अनुपालन में अन्य जिलों के बैंक खातों में ई–भुगतान द्वारा अंतरित किए। सरकारी धन को बैंक खाते में जमा करना मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 9 के प्रावधान का उल्लंघन है।

[4] *(1) संचालक, कृषि शाजापुरः ₹ 9.94 लाख (नवम्बर 2014), (2) उप संचालक, कृषि नीमचः ₹ 77.43 लाख (नवम्बर 2014), (3) संचालक, कृषि विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरखेड़ी कला, भोपालः ₹ 3.77 लाख (दिसम्बर 2014)*

[5] *(1) संचालक, कृषि विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरखेड़ी कला, भोपालः ₹ 22.98 लाख (नवम्बर 2014)*

- कोषालयों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि, 71 व्यक्तिगत जमा खाते तीन वर्ष से अधिक अवधि से अप्रचलित रहे। विवरण ifjf'k"V 3-9 में दर्शाया गया है। जबकि, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 562 के अंतर्गत इन व्यक्तिगत जमा खातों का शेष ₹ 107.66 करोड़ राजस्व जमा खाते को अंतरित नहीं किया गया था।

  इस ओर इंगित किए जाने पर संबंधित कोषालय अधिकारियों ने बताया कि, संबंधित प्राधिकारियों से उपयुक्त स्वीकृति लेने के पश्चात अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खातों के शेषों को राजस्व जमा खाते में अंतरित किया जाएगा। इस संबंध में अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2015) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि, विभागों को निर्देश पहले ही जारी किए गए थे तथा विशिष्ट मामलों को विभागों के समक्ष उठाया जाएगा।

3-12 nlo: foŸk vk;kx d: vu|nku dk i:fr/kkj.k

संचालनालय, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश भोपाल ने प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध कराने एवं शौचालय के निर्माण की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मई 1998 में दसवें वित्त आयोग के ₹ 36.70 लाख का अनुदान कलेक्टर, शिवपुरी को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान सम्पूर्ण राशि खर्च करने के निर्देश के साथ जारी किया। संचालनालय, लोक शिक्षण ने उपर्युक्त राशि को व्यय न करने के निर्देश (अगस्त 1998) जारी किए। मार्च 2000 में संचालनालय, लोक शिक्षण ने दसवें वित्त आयोग का अनुदान ₹ 50.90 लाख कलेक्टर, शिवपुरी को इस निर्देश के साथ जारी किया कि, पूर्व में दी गई राशि ₹ 36.70 लाख शासकीय खाते में जमा की जाए, ताकि दोहरे व्यय को टाला जा सके।

कार्यालय कलेक्टर, शिवपुरी के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि, कलेक्टर, शिवपुरी ने पूर्व में आहरित की गई राशि ₹ 36.70 लाख शासकीय खाते में जमा नहीं की और इसे ब्याज वहन युक्त भारतीय स्टेट बैंक के बैंक खाता क्रमांक 53037060191 (मार्च 2015) में रखा गया था।

इस ओर इंगित किए जाने पर, संयुक्त कलेक्टर, शिवपुरी ने उत्तर दिया कि, शासन से निर्देश प्राप्त न होने के कारण राशि शासन के खाते में जमा नहीं की गई थी एवं निर्देश प्राप्त होने पर राशि को जमा किया जाएगा।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संचालनालय, लोक शिक्षण द्वारा मार्च 2000 में राशि को शासन के खाते में जमा करने के निर्देश दिए थे।

उपर्युक्त प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मार्च 2015); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2015)।

3-13 fu"d"kZ ,oa vuq'kalk,a

vuqnkuksa dh fo:} cdk;k mi;ksfxrk izek.k&i=

- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को दी गयी राशि ₹ 27,005.73 करोड़ की अनुदान सहायता के संबंध में 31 मार्च 2015 को उपयोगिता प्रमाण–पत्र (34950) बकाया थे जो संबंधित विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में उपयुक्त निगरानी की कमी को दर्शाता है।

  संगठनों जिनको अनुदान जारी किए गए थे, पर समय से उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण पर निगरानी रखने के लिए सरकार के विभागों के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है।

Lok;Ÿk fudk;ksa }kjk ys[kksa dk izLrqrhdj.k

- पांच स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब (205 महीनों तक) हुआ परिणामस्वरुप स्वायत्त निकायों की कार्यपद्धति की संवीक्षा में देरी हुई।

  सरकार को स्वायत्त निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को लेखों का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

nqfoZfu;ksx] gkfu;ka] ,oa xcu ds izdj.k

- 30 जून 2015 को विभिन्न विभागों में राशि ₹ 34.37 करोड़ के हानियों, दुर्विनियोग इत्यादि के कुल 3134 प्रकरण लंबित थे। शासकीय राजस्व की गैर प्राप्ति, विभाग की ओर से कार्यवाही विलंब से किये जाने से रही।

  दुर्विनियोग, हानियों इत्यादि के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए सरकारी विभागों को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

laf{kIr vkdfLed ns;dksa ds fo#) foLr`r izfrgLrk{kfjr vkdfLed ns;dksa dk izLrqrhdj.k

- मार्च 2015 तक संक्षिप्त आकस्मिक देयकों पर आहरित ₹ 7.59 करोड़ के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक प्रतीक्षित थे।

  राज्य सरकार को मौजूदा नियमों और प्रावधानों के अनुसार विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

0;fäxr tek [kkrkn e: fuf/k dk j[kk tkuk

- मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत जमा खाते, बिना वित्त विभाग के अनुमोदन के वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी जारी रहे थे। मार्च 2015 की समाप्ति तक व्यक्तिगत जमा खातों में कुल राशि ₹ 2,704.45 करोड़ का अत्यधिक अंतिम शेष था।

  विभागों को वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करना सुनिश्चित करना चाहिए एवं शेष को राज्य की समेकित निधि में अंतरित किया जाना चाहिए।

¼lkjHk d- efYyd½
egkys[kkdkj
¼lkekU; ,o lkekftd {k= ys[kkijh{kk½
e/; izns'k

Xokfy;j
fnukd 07 Qjojh 2016

izfrgLrk{kfjr

¼'kf'k dkUr 'kek½
Hkkjr d fu;a=d&egkys[kkijh{kd

ubZ fnYyh
fnukd 09 Qjojh 2016